निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्याः—46 / 18 दायरा 05.11.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी......................

बनाम

भागीरथ दांगी आ0 कंवरलाल विक्रेता एवं मालिक शेर मोहल्ला पिड़ावा

गैर सायलान..............

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित— 1— पेरोकार सरकार
2— गैर सायलन स्वंय

दिनांकः— 18.12.2018

—: आदेश :—

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूॅं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 22.07.2018 को दोपहर 1 बजे मय टीम के मैसर्स गणेश दूध डेयरी शेर मोहल्ला पिडावा पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहा पर भागीरथ दांगी आ0 कंवरलाल खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन नही होना पाया गया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) जो कि प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 25 लीटर फ्रीज में विक्रय हेतु रखा गयाथ जो आम जनता को बेचान किया जा रहा था जिसमें मिलावट का संदेह होने पर प्लैजर से हिलामिला कर एक स्टील की साफ भगौनी में 2 लीटर दूध (मिश्रित) वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रु 80/— नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं ने किये जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे भागीरथ दांगी ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति भागीरथ को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ दूध (मिश्रित) को चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में बराबर—बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में फोर्मलिन 40—40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद करके लेबल चिपकाये ओर लेबलों पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डीओ के कोड एवं कमांक वी—960 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग—2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी—960 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर गायत्री देवी च.श्रे.कर्म. कार्या0 हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

P.T.O

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

(2)

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/136 दिनांक 06.09.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 461/एफ.एस.एस.ए./कोटा एक्ट/2018/509 दिनांक 31.08.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया खाद्य प्रदार्थ दूध (मिश्रित)) रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है जिसकी सूचना गैर सायल को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएस/2018/140 दिनांक 20.09.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायल ने खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार द्वारा वकालत नाम प्रस्तुत कर अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि गैर सायल द्वारा उनके लोगो से दुध क्रय कर विक्रय का कार्य किया जाता था अब भविष्य में देख–भाल कर दूध कय्र कर विक्रय किया जावेगा, कृपया प्रकरण खारिज फरमाकर गैर सायल को दोषमुक्त किया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायल द्वारा खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से अवमानक खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) सबस्टेण्डर्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) सबस्टेण्डर्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायल को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा गैरसायल की मौखिक बहस पर गौर किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ दूध (मिश्रित) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जॉच रिपोर्ट अनुसार गैर सायल का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एक्स.)के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रैणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 51 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल भागीरथ दांगी को 5000/–(अक्षरे पॉच हजार रूपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(रामचरण शर्मा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णयन अधिकारी
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)